

15<sup>05</sup>  
24

पत्रावली पेश हुई। वकील आर्थी उपस्थित।  
वकील आर्थी ने T.I. पार्थिव पत्र पर व्यक्तिगत बहस  
सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रकरण  
संस्थापन दिनांक 18-08-2020 के बाद आदिनांक तक  
ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थिका द्वारा पेश नहीं किया गया,  
जिससे प्रमाणित हो कि प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा  
की प्रार्थिका को अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थिका के  
अनुतोष के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से  
प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अप्रत्याप्य क्षति

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामिल में जारी  
हुये

के बिन्दुओं की कसौटी पर जा नहीं उतरता है लिहाज  
प्रार्थना द्वारा ग्राम बैज-इटहसील वाली स्थित भूमि खसर  
नंबर 1954 क्षेत्रफल 0.4000 हेक्टर के संबंध में प्रस्तुत  
प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA 1955 वाक अस्थाई निचे धारा  
खारिज किया जाता है पत्रवली फसल सुमार हेक्टर नंबर  
से कम है।



3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली